क्रम-संख्या–44(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 19 फरवरी, 2026

माघ 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग–2

संख्या 158 ई-2/तेरह-2026-2024355

लखनऊ, 19 फरवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ0–32

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या 2 की प्रविष्टि संख्या 8 एवं 51 में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में संविधान के अनुच्छेद 47 में दिये गये निदेशक तत्वों के दृष्टिगत मादक पदार्थों विशेषत: मदिरा एवं भांग के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, थोक एवं फुटकर बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने सम्बंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 40 सपठित धारा 77 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल महोदया पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समस्त वर्तमान नियमावलियों के अंसगत होने की सीमा तक अवक्रमित करते हुये वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2028–29 तक के लिये मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित आबकारी निर्यात नीति जो शासनादेश संख्या 10/2026/104ई–2/तेरह–2026–02/2026–2018001 दिनांक 12 फरवरी, 2026 द्वारा घोषित की गयी है, को एतद्द्वारा सहर्ष निम्नानुसार अधिसूचित करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु समस्त कार्यवाहियाँ उक्त शासनादेश के निर्गमन की तिथि के पश्चात् प्रारम्भ की जा सकेगी।

1–अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा (यू0पी0एम0एल0) के निर्यात हेतु बोतल भराई

1.1–अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा, ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा (यू0पी0एम0एल0) के देश के अंदर एवं देश के बाहर निर्यात हेतु बोतल भराई का कार्य सी0एल0बी0–1 अथवा सी0एल0बी0–2 लाइसेंस के अंतर्गत अनुमन्य होगा।

1.2–सी0एल0बी0–1 अथवा सी0एल0बी0–2 अथवा दोनों लाइसेंसों के अंतर्गत निर्यात हेतु बोतल में भरी जाने वाली अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा अथवा ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा (यू0पी0एम0एल0) पर पैत्रिक आसवनी की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक

के समतुल्य भरी गयी बोतलों पर निवेश प्रोत्साहन एवं निर्यात की दृष्टि से बोतल भराई शुल्क नहीं लिया जायेगा। निर्धारित सीमा से अतिरिक्त भरी गयी देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0 पर निम्नांकित दर से बोतल भराई शुल्क अधिरोपित होगा।

क्रम संख्या	अनुज्ञापन का प्रकार	देशी मदिरा / यू0पी0एम0एल0
1	सी0एल0बी0-1	04 पैसा प्रति 200 एम0एल0
2	सी0एल0बी0-2	10 पैसा प्रति 200 एम0एल0

अन्य धारिताओं हेतु बोतल भराई शुल्क धारिता के समानुपात में निर्धारित होगा।

निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा में सी0एल0बी0-1 और सी0एल0बी0-2 इकाई के साथ एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए इकाई में निर्यात हेतु की गयी भराई भी सम्मिलित होगी।

2–भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन एवं एल0ए0बी0 के निर्यात हेतु बोतल भराई

2.1–भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन एवं एल0ए0बी0 के देश के अंदर एवं देश के बाहर निर्यात हेतु बोतल भराई का कार्य एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए लाइसेंस के अंतर्गत अनुमन्य होगा।

2.2–एफ0एल0–3 अथवा एफ0एल0–3ए लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन एवं एल0ए0बी0 पर निवेश प्रोत्साहन एवं निर्यात की दृष्टि से बोतल भराई शुल्क को तर्क संगत करने हेतु निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 सं0	भरी जाने वाली बोतल की धारिता	मदिरा का प्रकार	2026–27 हेतु एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल–03 हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)
1	2000 एम0एल0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा / वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.79	3.14	4.11
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा / वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.32	3.14	4.11

क्र0सं0	भरी जाने वाली बोतल की धारिता	मदिरा का प्रकार	2026–27 हेतु एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल–03 हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)
2	1000 एम0एल0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.40	1.57	2.05
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.16	1.57	2.05
3	700 व 750 एम0एल0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.31	1.21	1.63
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.13	1.21	1.63
4	500 एम0एल0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.22	0.85	1.21
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.09	0.85	1.21

क्र0सं0	भरी जाने वाली बोतल की धारिता	मदिरा का प्रकार	2026–27 हेतु एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल–03 हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)
5	375 एम0एल0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.18	0.72	0.97
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.08	0.72	0.97
6	180 एम0एल0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.12	0.48	0.60
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.05	0.48	0.60
7	100 एम0एल0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.08	0.30	0.36
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.03	0.30	0.36

क्र0सं0	भरी जाने वाली बोतल की धारिता	मदिरा का प्रकार	2026–27 हेतु एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल–03 हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)
8	90 एम0एल0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.08	0.30	0.36
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.03	0.30	0.36
9	60 एम0एल0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.05	0.18	0.24
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/वाइन (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.02	0.18	0.24
10	1000 एम0एल0	एल0ए0बी0 (देश के अन्दर निर्यात हेतु)	0.05	0.18	0.30
		एल0ए0बी0 (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.02	0.18	0.30
11	650 एम0एल0	एल0ए0बी0 (देश के अन्दर निर्यात हेतु)	0.03	0.10	0.18
		एल0ए0बी0 (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.10	0.18

क्र0सं0	भरी जाने वाली बोतल की धारिता	मदिरा का प्रकार	2026–27 हेतु एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल–03 हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक पी0डी0–2 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)
12	500 एम0एल0	एल0ए0बी0 (देश के अन्दर निर्यात हेतु)	0.02	0.08	0.12
		एल0ए0बी0 (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.08	0.12
13	325 व 330 एम0एल0	एल0ए0बी0 (देश के अन्दर निर्यात हेतु)	0.02	0.06	0.08
		एल0ए0बी0 (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.06	0.08
14	275 एम0एल0	एल0ए0बी0 (देश के अन्दर निर्यात हेतु)	0.02	0.05	0.06
		एल0ए0बी0 (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.05	0.06
15	275 एम0एल0 से कम	एल0ए0बी0 (देश के अन्दर निर्यात हेतु)	0.01	0.04	0.05
		एल0ए0बी0 (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.01	0.04	0.05

नोटः– 1–उपरोक्त बोतल भराई शुल्क की दरों का पुनरीक्षण यथावश्यकता वर्षानुवर्ष राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

2– अन्य धारिताओं हेतु अगली धारिता की बाटलिंग फीस ली जायेगी।

2.3–एफ0एल0-3 और एफ0एल0-3ए इकाइयों द्वारा पैत्रिक पी0डी0–2 अथवा द्राक्षासवनी इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक निर्यात हेतु भरी गयी बोतलों पर ही उपर्युक्त दर से बोतल भराई शुल्क अनुमन्य होगा। उपर्युक्तानुसार नियत सीमा से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक निर्यात हेतु की गयी भराई पर पूर्व प्रचलित दरों से ही बोतल भराई शुल्क लिया जायेगा। विदेशी मदिरा निर्माण से सम्बंधित आसवनी में अधिष्ठापित क्षमता का सम्पूर्ण उपभोग हो जाने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में निर्यात हेतु मदिरा निर्माण की अनुमति इस नीति के प्रख्यापन की तिथि से इस प्रतिबंध के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी कि बल्क स्प्रिट क्रय करके अधिष्ठापित क्षमता से अधिक निर्यात हेतु विदेशी मदिरा की बोतल में भराई हेतु क्रय/प्रयुक्त किये गये ई0एन0ए0/अन्य कोई स्प्रिट पर बॉटलिंग हेतु निर्धारित फीस की दोगुनी दर से बॉटलिंग फीस देय होगी। आसवनी को इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से 40 प्रतिशत अधिक की सीमा तक ही स्प्रिट

क्रय/प्रयुक्त किये जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा आसवनी को अपनी क्षमता विस्तार/नवीन इकाई की स्थापना आदि का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है और यह सुविधा सामान्यत: वित्तीय वर्ष में एक बार ही प्रदान की जायेगी।

निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक की सीमा में एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए इकाई के साथ सी0एल0बी0–1 और सी0एल0बी0–2 इकाई में निर्यात हेतु की गयी भराई भी सम्मिलित होगी।

3–भारत निर्मित बीयर के निर्यात हेतु बोतल भराई–

3.1–भारत निर्मित बीयर के देश के अंदर एवं देश के बाहर निर्यात हेतु बोतल भराई का कार्य एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए लाइसेंस के अंतर्गत अनुमन्य होगा।

3.2–एफ0एल0–3 अथवा एफ0एल0–3ए लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात हेतु भारत निर्मित बीयर पर, निवेश प्रोत्साहन एवं निर्यात की दृष्टि से बोतल भराई शुल्क को, तर्क संगत करने हेतु, निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

क्र0सं0	भरी जाने वाली बोतल की धारिता	मदिरा का प्रकार	2026–27 हेतु एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक बी–1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल–03 हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक बी–1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक बी–1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)
1	ड्राट बीयर 50 लीटर केग	भारत निर्मित बीयर (देश के अंदर निर्यात हेतु)	7.55	30.19	36.23
		भारत निर्मित बीयर (देश के बाहर निर्यात हेतु)	3.1	30.19	36.23
2	650 एम0एल0	भारत निर्मित बीयर (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.17	0.66	0.78
		भारत निर्मित बीयर (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.07	0.66	0.78
3	500 एम0एल0	भारत निर्मित बीयर (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.14	0.54	0.60
		भारत निर्मित बीयर (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.06	0.54	0.60

क्र0सं0	भरी जाने वाली बोतल की धारिता	मदिरा का प्रकार	2026–27 हेतु एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक बी–1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल–03 हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक बी–1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)	2026–27 में एफ0एल0–3ए हेतु बोतल भराई शुल्क प्रति बोतल (पैत्रिक बी–1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु निर्धारित पेय क्षमता तक) (₹)
4	350 एम0एल0 या उससे कम	भारत निर्मित बीयर (देश के अंदर निर्यात हेतु)	0.09	0.36	0.48
		भारत निर्मित बीयर (देश के बाहर निर्यात हेतु)	0.04	0.36	0.48

नोटः–1–उपरोक्त बोतल भराई शुल्क की दरों का पुनरीक्षण यथावश्यकता वर्षानुवर्ष राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

2–अन्य धारिताओं हेतु अगली धारिता की बाटलिंग फीस ली जायेगी।

3–650 एम0एल0 से अधिक धारिता की बोतल/केग हेतु बोतल भराई शुल्क, 650 एम0एल0 हेतु निर्धारित बोतल भराई शुल्क के समानुपाती होगा।

3.3–एफ0एल03 और एफ0एल0–3ए इकाइयों द्वारा पैत्रिक बी–1 इकाई की निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक निर्यात हेतु भरी गयी बोतलों पर ही उपर्युक्त दर से बीयर पर बोतल भराई शुल्क अनुमन्य होगा।

4– ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस का आरोपण-

सी0एल0बी0–1/सी0एल0बी0–2, एफ0एल0–3/एफ0एल0–3ए में निर्यात हेतु भरी गयी प्रत्येक बोतल (समस्त धारिताओं को सम्मिलित करते हुये) के सापेक्ष ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस पूर्व की भाँति ₹ 0.35/–प्रति बोतल की दर से आरोपित की जायेगी।

5– स्पेशल फीस का आरोपण-

निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक की उपरोक्त निर्धारित सीमा के अंतर्गत निर्यात हेतु बोतल में भरी गयी विदेशी मदिरा/वाइन/एल0ए0बी0/बीयर पर स्पेशल फीस लिये जाने का प्राविधान समाप्त किया जाता है। निर्धारित सीमा से अधिक की गयी बोतल भराई पर पूर्व प्रचलित दर से ही स्पेशल फीस ली जायेगी।

6– फ्रैंचाइजी फीस का आरोपण-

निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक की उपरोक्त निर्धारित सीमा के अंतर्गत निर्यात हेतु बोतल में भरी गयी विदेशी मदिरा/वाइन/एल0ए0बी0/बीयर पर फ्रैंचाइजी फीस लिये जाने का प्राविधान समाप्त किया जाता है। निर्धारित सीमा से अधिक की गयी निर्यात हेतु बोतल में भरी गयी विदेशी मदिरा/वाइन/एल0ए0बी0/बीयर पर एफ0एल0–3ए से फ्रैंचाइजी फीस निम्नांकित तालिका के अनुसार ली जायेगी:–

क्रम सं0	बोतलों/कैनों में भरी जाने वाली मदिरा का प्रकार	आपूर्ति का प्रकार	निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक की गयी बोतल भराई पर वर्ष 2026–27 में एफ0एल0-3ए हेतु फ्रैंचाइजी फीस की दर
1	बीयर	प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु	₹ 0.13 प्रति ब0ली0
2	बीयर	देश के बाहर निर्यात हेतु	शून्य
3	विदेशी मदिरा/वाइन/एल0ए0बी0	प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु	₹ .50 प्रति ब0ली0
4	विदेशी मदिरा/वाइन/एल0ए0बी0	देश के बाहर निर्यात हेतु	शून्य

7–बोतलीकृत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा (यू0पी0एम0एल0), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन एल0ए0बी0 एवं बीयर पर निर्यात फीस का आरोपण।

(क) निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित बोतलीकृत देशी मदिरा और ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा(यू0पी0एम0एल0) का देश के अंदर निर्यात किये जाने के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹0.20/– प्रति अल्कोहल लीटर की दर से किया जायेगा। परन्तु अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित बोतलीकृत देशी मदिरा और ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा(यू0पी0एम0एल0) का उक्त सीमा से अधिक देश के अंदर निर्यात किये जाने के मामलों में पूर्व की भाँति ₹10/– प्रति ए0एल0 की दर से आरोपित होगी ।

(ख) निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत बोतलीकृत भारत निर्मित विदेशी मदिरा(भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम सहित), वाइन एवं एल0ए0बी0 का देश के अंदर निर्यात किये जाने के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹1.0/– प्रति बल्क लीटर की दर से किया जायेगा। परन्तु उक्त सीमा से अधिक किये गये निर्यात पर पूर्व की भाँति एफ0एल0–3 हेतु ₹2.75/– प्रति बल्क लीटर तथा एफ0एल0–3ए हेतु ₹3.00/– प्रति बल्क लीटर की दर से आरोपित होगी।

(ग) निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक बोतलीकृत भारत निर्मित बीयर का देश के अंदर निर्यात किये जाने के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹ 0.50/–प्रति बल्क लीटर की दर से किया जायेगा। परन्तु उक्त सीमा से अधिक किये गये निर्यात पर एफ0एल0–3 हेतु पूर्व की भाँति ₹1.75/– प्रति बल्क लीटर तथा एफ0एल0–3ए हेतु ₹2.00/– प्रति बल्क लीटर की दर से आरोपित होगी।

(घ) बोतलीकृत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा (यू0पी0एम0एल0), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, एल0ए0बी0, बीयर एवं वाइन का देश के बाहर निर्यात किये जाने वाले मामलों में निर्यात फीस का आरोपण नहीं किया जायेगा। परन्तु यथावश्यकता निर्यात फीस आरोपित करने का सर्वाधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

8–प्रदेश में देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0/विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर की आपूर्ति में कठिनाई होने पर अनारक्षित शीरा आधारित ई0एन0ए0/ ग्रेन ई0एन0ए0/बीयर/वाइन के निर्यात को प्रतिबंधित करने का अधिकार आबकारी आयुक्त मे निहित होगा।

9–ग्रेन ई0एन0ए0, विशेष स्प्रिट यथा एच0बी0एस0, आई0एम0एफ0एल0 कंसंट्रेट आदि के बल्क निर्यात पर निर्यात फीस का आरोपण-

(क) देश के अंदर विशेष स्प्रिट यथा एच0बी0एस0, आई0एम0एफ0एल0 कंसंट्रेट, रेक्टीफाइड स्प्रिट आदि के बल्क निर्यात के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹2.0 प्रति बल्क लीटर की दर से किया जायेगा। देश के अंदर ग्रेन ई0एन0ए0 के बल्क निर्यात के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹1.0 प्रति बल्क लीटर के दर से किया जायेगा। अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 के देश के अंदर निर्यात के मामलों में निर्यात फीस का आरोपण ₹0.50 प्रति बल्क लीटर की दर से किया जायेगा।

(ख) देश के बाहर ई0एन0ए0, विशेष स्प्रिट यथा एच0बी0एस0, आई0एम0एफ0एल0 कंसंट्रेट आदि के बल्क निर्यात के मामलों में निर्यात फीस नहीं ली जायेगी।

10– निर्यात हेतु बोतल में देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0/विदेशी मदिरा/वाइन/एल0ए0बी0 की भराई के संबंध में पूर्व प्रस्तरों में प्रदत्त समस्त छूट मात्र ऐसी आसवनियों/द्राक्षासवनियों को ही अनुमन्य होगी जिनपर अथवा जिनके स्वामी अथवा स्वामी कम्पनी/फर्म आदि की किसी अन्य इकाई/चीनी मिल पर कोई गन्ना मूल्य भुगतान के बकाये के संबंध में अथवा आबकारी विभाग के बकाये के संबंध में वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत एवं प्रभावी न हो।

11– ब्राण्ड पंजीकरण, लेबिल अनुमोदन एवं ई0डी0पी0-

(क) अन्य देशों एवं अन्य प्रदेशों को निर्यात की जाने वाली बोतलीकृत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा (यू0पी0एम0एल0), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन, एल0ए0बी0, एवं बीयर की ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन फीस को निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से तर्कसंगत करते हुये निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा				
क्रम सं0	मदिरा का प्रकार	ब्राण्ड पंजीकरण शुल्क	लेबिल अनुमोदन शुल्क वर्ष 2026–27	लेबिल अनुमोदन शुल्क वर्ष 2025–26
1	अनारक्षित शीरा आधारित देशी मदिरा	ब्राण्ड पंजीकरण निःशुल्क होगा।	1,100	लागू नहीं
2	यू0पी0एम0एल0		1,100	लागू नहीं
3	विदेशी मदिरा		35,000	6,00,000
4	बीयर		25,000	6,00,000
5	वाइन		5,000	1,00,000
6	फोर्टिफाइड वाइन		10,000	लागू नही
7	एल0ए0बी0		10,000	6,00,000

(ख) अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा की प्रत्येक धारिता की बोतल पर लगने वाले समस्त लेबिलों हेतु लेबिल अनुमोदन फीस उपर्युक्त दर से एकमुश्त ली जायेगी।

(ग) निर्यात की जाने वाली मदिरा के लेबिलों पर आयातक देश अथवा प्रदेश द्वारा निर्धारित लीजेण्ड, विवरण तथा चेतावनी आदि अंकित किये जाने की अनुमन्यता होगी परन्तु ब्राण्ड का नाम एवं उत्पादक इकाई का नाम व उत्तर प्रदेश एवं यथास्थिति भारत अथवा इण्डिया अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) देश के बाहर निर्यात की जाने वाली बोतलीकृत अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा (यू0पी0एम0एल0), के लेबिलों पर आई0एम0एल0 अथवा इण्डिया मेड लिकर अंकित किया जाना अनुमन्य होगा।

(ङ) आयातक देश अथवा प्रदेश द्वारा निर्धारित अल्कोहलिक तीव्रता, निर्यात की जाने वाली पेय मदिरा की बोतलों पर अंकित किया जाना अनुमन्य होगा।

(च) निर्यात की जाने वाली पेय मदिरा की अल्कोहलिक तीव्रता का निर्धारण निर्यातक इकाई द्वारा किये जाने की भी स्वतंत्रता होगी।

(छ) अनुमोदित लेबिलों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता होने पर संशोधित लेबिलों का पुन: अनुमोदन प्राप्त करना होगा। संशोधित लेबिलों के पुन: अनुमोदन हेतु लेबिल अनुमोदन फीस पुन: ली जायेगी परन्तु यदि संशोधन, आयातक प्रदेश/देश की सक्षम संस्था के निर्देशों के क्रम होगा तब लेबिल अनुमोदन फीस नहीं ली जायेगी।

(ज) निर्यात हेतु पंजीकृत ब्राण्डों की विभिन्न धारिताओं की ई0डी0पी0 यथास्थिति आयातक देश अथवा प्रदेश द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

(झ) अन्य प्रदेशों, देशों को निर्यातित मदिरा की प्रत्येक धारिता की बोतल पर लगने वाले समस्त लेबिलों पर यथास्थिति "For export outside U.P." अथवा "For overseas export" बड़े एवं बोल्ड फांट में अंकित करना अनिवार्य होगा।

12– निर्यात की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की प्रासेसिंग फीस-

(क) बोतल में भरी अनारक्षित शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा और ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित देशी मदिरा (यू0पी0एम0एल0), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, वाइन, एल0ए0बी0 और बीयर के देश के बाहर निर्यात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹6,000/– होगी।

(ख) राज्य सरकार की अनुमति से ग्रेन ई0एन0ए0 के देश के बाहर निर्यात के मामलों में एक परमिट के अंतर्गत 50,000 बल्क लीटर तक के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है। इस निर्यात परमिट को प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आनलाइन आवेदन-पत्र की प्रासेसिंग फीस ₹50,000/– निर्धारित की जाती है।

(ग) बल्क स्प्रिट के निर्यात (राज्य के बाहर परन्तु देश के अंदर) की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन–पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹2,500/– होगी।

(घ) बोतल में भरी भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के देश के बाहर निर्यात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹6,000/– होगी।

12.1– प्रदेश में देशी मदिरा/यू0पी0एम0एल0/विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल0ए0बी0 की आपूर्ति में कठिनाई के दृष्टिगत, यथावश्यकता आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश एवं देश के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

13– निर्यात हेतु हेरिटेज मदिरा का निर्माण, टेस्टिंग टैवर्न और फुटकर बिक्री-

(1) भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं एल0ए0बी0 के निर्यात हेतु पी0डी0–2 लाइसेंस प्राप्त परिसरों में संचालित एफ0एल0–3 और एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों को फलों के पल्प का, बिना किण्वन प्रक्रिया संपादित किये, प्रयोग कर भारतीय हेरिटेज मदिरा के निर्माण के अनुसंधान की अनुमति होगी। पी0डी0–2 लाइसेंस प्राप्त परिसरों में संचालित एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए द्वारा उत्पादित की जाने वाली भारतीय हेरिटेज मदिरा के ब्राण्ड का पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन, निर्यात की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भाँति कराया जायेगा। भारतीय हेरिटेज मदिरा को अपने परिसर में टेस्टिंग हेतु परोसने के लिये और अधिकतम 01 बोतल प्रतिब्राण्ड प्रतिव्यक्ति बिक्री के लिये टेस्टिंग टैवर्न संचालन हेतु एफ0एल0–7(टीडी)(ई) लाइसेंस प्रदान किया जायेगा। यह टेस्टिंग टैवर्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानक साज–सज्जा से परिपूर्ण और वातानुकूलित होना अनिवार्य होगा। उक्त टेस्टिंग टैवर्न में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक खान–पान की व्यवस्था किया जाना भी अनिवार्य होगा। उक्त टेस्टिंग टैवर्न में मात्र 750 एम0एल0 की अधिकतम 50 बोतलों का उपभोग प्रतिमाह अनुमन्य होगा।

(2) भारतीय हेरिटेज मदिरा की प्रत्येक बोतल (750 एम0एल0) पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी पर अधिकतम आगणित प्रतिफल शुल्क आरोपित होगा।

(3) एफ0एल0–7(टीडी)(ई) लाइसेंस आबकारी आयुक्त के स्तर से स्वीकृत किया जायेगा। इस लाइसेंस की स्वीकृति प्रक्रिया, आवश्यक प्रपत्रों, हेरिटेज मदिरा प्राप्ति आदि की व्यवस्था का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(4) एफ0एल0–7(टीडी)(ई) आवेदन की प्रासेसिंग फीस ₹20,000/–, वार्षिक अथवा वर्ष के किसी भाग के लिये लाइसेंस फीस ₹1,00,000/–(रुपया एक लाख मात्र) तथा प्रतिभूति ₹50,000/–(रुपया 50 हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।

(5) एफ0एल0–7(टीडी)(ई) लाइसेंस की नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी।

14– अन्य-

14.1– भांग की निर्यात फीसः–

भांग की अन्य प्रांतों हेतु निर्यात फीस को ₹ 30/– प्रति किलोग्राम रखा जाता है। प्रतिबंध यह होगा कि भांग का निर्यात अन्य देशों को अनुमन्य न होगा और भांग पर निर्यात फीस का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

14.2– भारत सरकार के प्रतिबंधों के अधीन निर्यात की जाने वाली बोतलीकृत मदिरा/बीयर/वाइन/एल0ए0बी0 की तीव्रता, धारिता, कार्टन साइज का निर्धारण निर्यातक इकाई द्वारा ही किये जाने की अनुमन्यता होगी।

15– उपरोक्त प्रस्तरों के अंतर्गत विभिन्न मदों हेतु निर्धारित समस्त दरों के समय–समय पर यथावश्यकता पुनरीक्षण का सर्वाधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित होगा।

16– (1) निर्यातक इकाई द्वारा देश के बाहर निर्यात हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/अनुदेशों के पालन किया जाना होगा और इस हेतु आवश्यक औपचारिकतायें भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुमन्य पूर्ण की जानी होगीं।

(2) निर्यात संवर्धन हेतु आबकारी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देय नहीं होगी। देश के बाहर मदिरा निर्यात किया जाना निर्यातक इकाई के स्वयं के जोखिम पर आधारित होगा।

(3) किसी भी प्रकार की छूट का दुरुपयोग पाये जाने पर आसवनी का लाइसेंस निरस्त किये जाने व प्राप्त छूट के बराबर राजस्व की वसूली की जायेगी।

आज्ञा से,

वीना कुमारी,

अपर मुख्य सचिव।

No. 158E-2/Thirteen–2026-2024355

Dated Lucknow, February 19, 2026

IN exercise of the powers conferred by Entries 8 and 51 of List II of the Seventh Schedule of the Constitution of India, and having due regard to the provisions of Article 47 of the Directive Principles of State Policy enshrined therein and with the objective of regulating and controlling activities related to export of intoxicating substances, the Hon'ble Governor of Uttar Pradesh, in exercise of the powers conferred under Section 40 *read* with Section 77 of the United Provinces Excise Act, 1910 (United Provinces Act No. 4 of 1910), *read* with Section 21 of the United Provinces General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), and hereby supressing all existing rules to the extent of inconsistency, for the purposes of the said Acts, is pleased to notify with effect from February 12, 2026, the English translation of Excise Export Policy for 2026-27 to 2028-29 as approved by the Council of Ministers, which has been declared *vide* Government Order No. 10/2026/104E-2/Thirteen-2026-02/2026-2018001 dated February 12, 2026. In case of any discrepancy, inconsistency or conflict between the English version of this notification/policy and it's Hindi version, the Hindi version shall prevail.

1. Bottling for Export of E.N.A. based Country Liquor made from Unreserved Molasses and Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.)

1.1 Bottling of E.N.A. based Country Liquor manufactured from unreserved molasses, and Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.), for export both within the country and outside the country, shall be permissible under **C.L.B.-1 or C.L.B.-2 licenses**.

1.2 To promote investments and exports, no **bottling fee shall be charged** on production for exports up to **25 percent of the determined potable capacity** of the parent distillery for E.N.A. based Country Liquor manufactured from unreserved molasses or Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.) filled for export under C.L.B.-1 or C.L.B.-2 or both licenses.

Bottling fee shall be imposed at the following rates on Country Liquor/U.P.M.L. produced and exported in excess of the above prescribed limit:

Sr. No.	Type of License	Country Liquor / U.P.M.L.
1	C.L.B.-1	04 Paise per 200 ml.
2	C.L.B.-2	10 Paise per 200 ml.

For other capacities, the bottling fee shall be determined in proportion to the capacity.

Bottling for exports in F.L.-3 and F.L.-3A units, along with C.L.B.-1 and C.L.B.-2 units, shall also be included within the limit of 25 percent of the determined potable capacity.

2. Bottling for Export of Indian Made Foreign Liquor, Wine and L.A.B.

2.1 Bottling of Indian Made Foreign Liquor (IMFL), Wine, and L.A.B. for exports, both within the country and outside the country, shall be permissible under **F.L.-3** and **F.L.-3A licenses**.

2.2 To promote investments and exports of Indian Made Foreign Liquor/Wine and L.A.B. for export under F.L.-3 or F.L.-3A licenses, bottling fees is rationalised and determined as follows:

Sr. No.	Capacity of Bottle to be Filled	Type of Liquor	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 and F.L.-3A for 2026-27 (Up to 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit but up to determined potable capacity) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3A in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit but up to determined potable capacity) (₹)
1	2000 ml	IMFL/Wine (For export within the country)	0.79	3.14	4.11
		IMFL/Wine (For export outside the country)	0.32	3.14	4.11
2	1000 ml	IMFL/Wine (For export within the country)	0.40	1.57	2.05
		IMFL/Wine (For export outside the country)	0.16	1.57	2.05
3	700 & 750 ml	IMFL/Wine (For export within the country)	0.31	1.21	1.63
		IMFL/Wine (For export outside the country)	0.13	1.21	1.63
4	500 ml	IMFL/Wine (For export within the country)	0.22	0.85	1.21
		IMFL/Wine (For export outside the country)	0.09	0.85	1.21
5	375 ml	IMFL/Wine (For export within the country)	0.18	0.72	0.97

Sr. No.	Capacity of Bottle to be Filled	Type of Liquor	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 and F.L.-3A for 2026-27 (Up to 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit but up to determined potable capacity) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3A in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit but up to determined potable capacity) (₹)
		IMFL/Wine (For export outside the country)	0.08	0.72	0.97
6	180 ml	IMFL/Wine	0.12	0.48	0.60
		IMFL/Wine (For export outside the country)	0.05	0.48	0.60
7	100 ml	IMFL/Wine (For export within the country)	0.08	0.30	0.36
		IMFL/Wine (For export outside the country)	0.03	0.30	0.36
8	90 ml	IMFL/Wine (For export within the country)	0.08	0.30	0.36
		IMFL/Wine (For export outside the country)	0.03	0.30	0.36
9	60 ml	IMFL/Wine (For export within the country)	0.05	0.18	0.24
		IMFL/Wine (For export outside the country)	0.02	0.18	0.24

Sr. No.	Capacity of Bottle to be Filled	Type of Liquor	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 and F.L.-3A for 2026-27 (Up to 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit but up to determined potable capacity) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3A in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit but up to determined potable capacity) (₹)
10	1000 ml	L.A.B. (For export within the country)	0.05	0.18	0.30
		L.A.B. (For export outside the country)	0.02	0.18	0.30
11	650 ml	L.A.B. (For export within the country)	0.03	0.10	0.18
		L.A.B. (For export outside the country)	0.01	0.10	0.18
12	500 ml	L.A.B. (For export (within the country)	0.02	0.08	0.12
		L.A.B. (For export outside the country)	0.01	0.08	0.12
13	325 & 330 ml	L.A.B. (For export within the country)	0.02	0.06	0.08
		L.A.B. (For export outside the country)	0.01	0.06	0.08
14	275 ml	L.A.B. (For export within the country)	0.02	0.05	0.06
		L.A.B. (For export outside the country)	0.01	0.05	0.06

Sr. No.	Capacity of Bottle to be Filled	Type of Liquor	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 and F.L.-3A for 2026-27 (Up to 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit but up to determined potable capacity) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3A in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent P.D.-2 unit but up to determined potable capacity) (₹)
15	Less than 275 ml	L.A.B. (For export within the country)	0.01	0.04	0.05
		L.A.B. (For export outside the country)	0.01	0.04	0.05

Note:-

1. The rates of the above bottling fee may be revised by the State Government year to year as per requirement.

2. For other capacities, the bottling fee of the next higher capacity shall be charged.

2.3 The bottling fee at the above rates shall be admissible only on production for export up to the limit of **25 percent of the determined potable capacity** of the parent P.D.-2 or winery unit by F.L.-3 and F.L.-3A units.

In cases of production for export in excess of the limit fixed above but up to the determined potable capacity, bottling fee shall be charged at the **previously prevailing rates**.

After the entire installed capacity in a distillery related to foreign liquor manufacturing is utilized, under special circumstances, permission for liquor manufacturing for export may be granted by the Excise Commissioner from the date of promulgation of this policy with the restriction that for bottling of foreign liquor for export in excess of the installed capacity by purchasing bulk spirit, **bottling fee shall be payable at double the rate** of the fee prescribed for bottling on the E.N.A./any other spirit purchased/used.The distillery shall be permitted to purchase/use spirit up to a limit of **40 percent in excess** of the installed capacity in this manner.This facility is being provided with the objective of providing an opportunity to the distillery for its capacity expansion/establishment of a new unit *etc*., and this facility shall generally be provided **only once in a financial year**.The filling done for export in C.L.B.-1 and C.L.B.-2 units along with F.L.-3 and F.L.-3A units shall also be included in the limit of up to 25 percent of the determined potable capacity.

3. Bottling for Export of Indian Made Beer

3.1 The work of bottling for export of Indian Made Beer, within the country and outside the country, shall be permissible under **F.L.-3** and **F.L.-3A licenses**.

3.2 To promote investments and exports, the bottling fee on export of Indian Made Beer under F.L.-3 or F.L.-3A licenses is rationalised and determined as follows:

Sr. No.	Capacity of Bottle to be Filled	Type of Liquor	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 and F.L.-3A for 2026-27 (Up to 25% of determined potable capacity of parent B-1 unit) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent B-1 unit but up to determined potable capacity) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3A in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent B-1 unit but up to determined potable capacity) (₹)
1	Draught Beer 50 Liter Keg	Indian Made Beer (For export within the country)	7.55	30.19	36.23
		Indian Made Beer (For export outside the country)	3.1	30.19	36.23
2	650 ml	Indian Made Beer (For export within the country)	0.17	0.66	0.78
		Indian Made Beer (For export outside the country)	0.07	0.66	0.78
3	500 ml	Indian Made Beer (For export within the country)	0.14	0.54	0.60
		Indian Made Beer (For export outside the country)	0.06	0.54	0.60

Sr. No.	Capacity of Bottle to be Filled	Type of Liquor	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 and F.L.-3A for 2026-27 (Up to 25% of determined potable capacity of parent B-1 unit) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3 in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent B-1 unit but up to determined potable capacity) (₹)	Bottling Fee per bottle for F.L.-3A in 2026-27 (More than 25% of determined potable capacity of parent B-1 unit but up to determined potable capacity) (₹)
4	350 ml or less	Indian Made Beer (For export within the country)	0.09	0.36	0.48
		Indian Made Beer (For export outside the country)	0.04	0.36	0.48

Note:-

1. The rates of the above bottling fee may be revised by the State Government year to year as per requirement.
2. For other capacities, the bottling fee of the next higher capacity shall be charged.
3. For bottles/kegs of capacity more than 650 ml, the bottling fee shall be proportional to the bottling fee determined for 650 ml.

3.3 The bottling fee on beer at the above rates shall be admissible only on bottles filled for export up to the limit of **25 percent of the determined potable capacity** of the parent B-1 unit by F.L.-3 and F.L.-3A units.

4. Imposition of Track and Trace Fee

Track and Trace fee shall be imposed at the rate of **₹ 0.35 per bottle** (including all capacities) filled for export in C.L.B.-1/C.L.B.-2, F.L.-3/F.L.-3A, as before.

5. Imposition of Special Fee

The provision for charging Special Fee on Foreign Liquor/Wine/L.A.B./Beer filled in bottles for export within the above-prescribed limit of up to 25 percent of the determined potable capacity is **abolished**.

Special Fee shall be charged at the **previously prevailing rates** only on bottle filling done in excess of the prescribed limit.

6. Imposition of Franchise Fee

The provision for charging Franchise Fee on Foreign Liquor/Wine/L.A.B./Beer filled in bottles for export within the above-prescribed limit of up to 25 percent of the determined potable capacity is **abolished**.

Franchise Fee from **F.L.-3A** on Foreign Liquor/Wine/L.A.B./Beer filled in bottles for export done in **excess of the prescribed limit** shall be charged as per the following table:

Sr. No.	**Type of Liquor to be filled in Bottles/Cans**	**Type of Supply**	**Rate of Franchise Fee for F.L.-3A in year 2026-27 on bottle filling done in excess of 25% of the determined potable capacity**
1	Beer	For export outside the State	₹ 0.13 per B.L.
2	Beer	For export outside the country	Nil
3	Foreign Liquor/Wine/L.A.B.	For export outside the State	₹ 0.50 per B.L.
4	Foreign Liquor/Wine/L.A.B.	For export outside the country	Nil

7. Imposition of Export Fee on Bottled E.N.A. based Country Liquor made from Unreserved Molasses and Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.), Indian Made Foreign Liquor, Wine, L.A.B. and Beer.

(a) In cases of export within the country of bottled E.N.A. based Country Liquor made from unreserved molasses and Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.) within the limit of **25 percent of the determined potable capacity**, Export Fee shall be imposed at the rate of **₹ 0.20 per Alcohol Liter**. However, in cases of export within the country of E.N.A. based bottled Country Liquor made from unreserved molasses and Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.) **in excess of the said limit**, it shall be imposed at the rate of **₹ 10 per A.L.** as before.

(b) In cases of export within the country of bottled Indian Made Foreign Liquor (including concessional rum supplied to the Indian Army), Wine, and L.A.B. within the limit of **25 percent of the determined potable capacity**, Export Fee shall be imposed at the rate of **₹ 1.0 per Bulk Liter**. However, on export done **in excess of the said limit**, it shall be imposed at the rate of **₹ 2.75 per Bulk Liter for F.L.-3** and **₹ 3.00 per Bulk Liter for F.L.-3A** as before.

(c) In cases of export within the country of bottled Indian Made Beer **up to 25 percent of the determined potable capacity**, Export Fee shall be imposed at the rate of **₹ 0.50 per Bulk Liter**. However, on export done **in excess of the said limit**, it shall be imposed at the rate of **₹ 1.75 per Bulk Liter for F.L.-3** and **₹ 2.00 per Bulk Liter for F.L.-3A** as before.

(d) No Export Fee shall be imposed in cases of export **outside the country** of bottled E.N.A. based Country Liquor made from unreserved molasses and Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.), Indian Made Foreign Liquor, L.A.B., Beer, and Wine.

However, the State Government reserves the exclusive right to impose Export Fee as per requirement.

8. In case of difficulty in the supply of Country Liquor/U.P.M.L./Foreign Liquor/Wine/Beer in the State, the **Excise Commissioner shall have the authority to ban the export** of Unreserved Molasses based E.N.A./Grain E.N.A./Beer/Wine.

9. Imposition of Export Fee on Bulk Export of Grain E.N.A., Special Spirits like H.B.S., I.M.F.L. Concentrate *etc*.

(a) In cases of bulk export of Special Spirit like H.B.S., I.M.F.L. Concentrate, Rectified Spirit *etc*. **within the country**, Export Fee shall be imposed at the rate of **₹ 2.0 per Bulk Liter**.In cases of bulk export of **Grain E.N.A. within the country**, Export Fee shall be imposed at the rate of **₹ 1.0 per Bulk Liter**.In cases of export of **E.N.A. made from unreserved molasses within the country**, Export Fee shall be imposed at the rate of **₹ 0.50 per Bulk Liter**.

(b) No Export Fee shall be charged in cases of bulk export of E.N.A., Special Spirit like H.B.S., I.M.F.L. Concentrate *etc*. **outside the country**.

10. All the exemptions granted in the preceding paragraphs regarding filling of Country Liquor/U.P.M.L./Foreign Liquor/Wine/L.A.B. in bottles for export shall be admissible **only to such Distilleries/Wineries** against which or against whose owner or owner Company/Firm *etc*.'s any other unit/sugar mill, no recovery certificate regarding arrears of cane price payment or regarding arrears of Excise Department is issued and currently valid.

11. Brand Registration, Label Approval and E.D.P.

(a) To promote investments and exports of bottled E.N.A. based Country Liquor made from unreserved molasses and Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.), Indian Made Foreign Liquor, Wine, L.A.B., and Beer to other countries and other States, the Brand Registration and Label Approval Fee is rationalised and determined as follows:

"Liquor Exported to Other Countries, States"

Sr. No.	Type of Liquor	Brand Registration Fee	Label Approval Fee Year 2026-27	Label Approval Fee Year 2025-26
1	Unreserved Molasses based Country Liquor	Brand Registration will be Free	1,100	Not Applicable
2	U.P.M.L.		1,100	Not Applicable
3	Foreign Liquor		35,000	6,00,000
4	Beer		25,000	6,00,000
5	Wine		5,000	1,00,000
6	Fortified Wine		10,000	Not Applicable
7	L.A.B.		10,000	6,00,000

(b) Label Approval Fee for all labels applied on bottles of each capacity of liquor exported to other countries, States shall be charged as a **lump sum** at the above rate.

(c) It shall be permissible to print the legend, details, and warning *etc*. prescribed by the importing country or State on the labels of the liquor to be exported, but it shall be **mandatory to print the Brand Name and Manufacturer Unit's Name and Uttar Pradesh and India or Bharat** as the case may be.

(d) It shall be permissible to print **I.M.L. or India Made Liquor** on the labels of E.N.A. based bottled Country Liquor made from unreserved molasses and Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.) exported outside the country.

(e) It shall be permissible to print the alcoholic strength prescribed by the importing country or State on the bottles of potable liquor to be exported.

(f) The exporter unit shall also have the freedom to determine the alcoholic strength of the potable liquor to be exported.

(g) If there is a need to amend the approved labels, re-approval of the modified labels will have to be obtained. Label Approval Fee shall be charged again for re-approval of modified labels, but if the modification is in compliance of the instructions of the competent institution of the importing State/Country, then Label Approval Fee shall not be charged.

(h) The E.D.P. of various capacities of brands registered for export shall be approved by the importing Country or State as the case may be.

(i) It shall be **mandatory to print "For export outside U.P." or "For overseas export"** in large and bold font on all labels applied on bottles of each capacity of liquor exported to other States or countries.

12. Processing Fee for Applications submitted for permission to Export

(a) The processing fee for online applications submitted for permission to export bottled E.N.A. based Country Liquor made from unreserved molasses and Grain E.N.A. based Country Liquor (U.P.M.L.), Indian Made Foreign Liquor, Wine, L.A.B., and Beer **outside the country** shall be **₹ 6,000/-**.

(b) In cases of export of **Grain E.N.A. outside the country**, permission for export of up to **50,000 Bulk Liters** is granted under one permit after obtaining permission from the State Government. The processing fee for the online application submitted to obtain this export permit is determined at **₹ 50,000/-**.

(c) The processing fee for online applications submitted for permission to export **Bulk Spirit** (outside the State but within the country) shall be **₹ 2,500/-**.

(d) The processing fee for online applications submitted for permission to export bottled Indian Made Foreign Liquor and Beer **outside the country** shall be **₹ 6,000/-**.

12.1 In view of the difficulty in the supply of Country Liquor/U.P.M.L./Foreign Liquor/Beer/Wine/L.A.B. in the State, the Excise Commissioner may impose a ban on export to other States and outside the country as per requirement.

13. Manufacture, Tasting Tavern and Retail Sale of Heritage Liquor for Export

(1) F.L.-3 and F.L.-3A licenses operating in premises having P.D.-2 license for the export of Indian Made Foreign Liquor and L.A.B. shall be permitted to conduct research for the manufacture of **Indian Heritage Liquor** using fruit pulp, **without conducting a fermentation process**.The process of registration of the brand and label approval of Indian Heritage Liquor produced by F.L.-3 and F.L.-3A licensees operating in premises having P.D.-2 license shall be similar to the process of export of Indian Made Foreign Liquor. **F.L.-7(TD)(E) license** shall be granted for operating a **Tasting Tavern** to serve Indian Heritage Liquor for tasting in its premises and for the sale of a maximum of 01 bottle per brand per person. It shall be mandatory for this Tasting Tavern to be fully air-conditioned and furnished with international standard decor. It shall also be mandatory to arrange international standard food and beverages in the said Tasting Tavern. Consumption of a maximum of **50 bottles of only 750 M.L.** per month shall be permissible in the said Tasting Tavern.

(2) Maximum calculated Consideration Fee on the **Regular Category** of Indian Made Foreign Liquor shall be imposed on each bottle (750 M.L.) of Indian Heritage Liquor.

(3) F.L.-7(TD)(E) license shall be approved at the level of the Excise Commissioner. The determination of the approval process of this license, necessary forms, arrangement for obtaining Heritage Liquor *etc*. shall be done by the Excise Commissioner.

(4) The processing fee for F.L.-7(TD)(E) application is determined at **₹ 20,000/-**, license fee for annual or any part of the year at **₹ 1,00,000/-** (Rupees One Lakh only) and security at **₹ 50,000/-** (Rupees Fifty Thousand only).

(5) The renewal fee for F.L.-7(TD)(E) license shall be **10 percent** of the license fee.

14. Others

14.1 Export Fee on Bhang:-

The Export Fee for Bhang to other provinces is kept at **₹ 30/- per Kilogram**.The restriction shall be that the export of Bhang to other countries shall not be permissible and the determination of Export Fee on Bhang shall be done by the State Government for each financial year.

14.2 Subject to the restrictions of the Government of India, the exporter unit shall be permitted to determine the strength, capacity, carton size of bottled Liquor/Beer/Wine/L.A.B. to be exported.

15. The State Government reserves the exclusive right to revise all the rates determined for various items under the above paragraphs from time to time as per requirement.

16. (1) The exporter unit shall have to comply with the guidelines/instructions issued by the Government of India for export outside the country and for this, necessary formalities shall have to be completed as permissible under the guidelines prescribed by the Government of India.

(2) No financial assistance of any kind shall be payable by the Excise Department for export promotion. Exporting liquor outside the country shall be based on the exporter unit's own risk.

(3) If any kind of misuse of the exemption is found, the license of the distillery shall be cancelled and revenue equal to the exemption obtained shall be recovered.

By order,
VEENA KUMARI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 383 राजपत्र–2026–(1180)–599+25=624 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

383 RPH 2026 (Abkari-2) Data 6e